न्यायालय–मुंसिफ, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–12/2005

CIS NO. TS-236/2018

नगीना पाठक एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

बिहार सरकार एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
02.12.2024	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। वादीगण की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 16.02.2023 अंतर्गत धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता को उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रचालित कर कहा गया कि वादी की ओर से कोई कागजात प्रदर्श नही कराया जा सका है। वादी रविन्द्र पाठक की मोटर साईकिल दुर्धटना में पैर की हड्डी टुट जाने के कारण वादी अपनी ईलाज हेतु बेतिया निजी अस्पताल में भर्ती रहा। वादी रविन्द्र उर्फ गंभीर पाठक गरीब ब्राहम्ण है तथा उनके परिवार में उनके अलावा अन्य सदस्य नहीं है जिस कारण साक्ष्य नहीं प्रस्तुत नहीं हो सका। साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने के कारण दिनांक 18.04.2022 को वादी का साक्ष्य बंद कर दिया गया। वादी द्वारा दिनांक 18.04.2022 के आदेश को वापस लेने एवं वादी को साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु आवेदन दिनांक 18.04.2022 को दाखिल किया गया परंतु उक्त आवेदन के साथ भूलवश शपथ पत्र समर्पित नहीं किया गया तथा वादी रविन्द्र पाठक के ईलाज के सत्यापित के संबंध में भी भूलवश कोई चिकित्सीय प्रमाण पत्र भी दाखिल नहीं किया गया जिस कारण न्यायालय द्वारा आवेदन दिनांक 18.04.2022 को आदेश दिनांक 17.11.2022 से खारिज कर दिया गया। वादी द्वारा इस आवेदन के समर्थन में शपथ पत्र तथा वादी रविन्द्र ठाकुर की मोटर साईकिल दुर्धटना में टुटी हड्डी की ईलाज कराये गये चिकित्सीय प्रमाण पत्र फ्री सबुत के साथ दाखिल किया जाता है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि आदेश दिनांक 18.04.2022 को वापस लेते हुए वादी को केवल कागजात प्रदर्श कराने हेतु साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु अवसर देने की कृपा की जाय। प्रतिवादीगण की ओर से वादीगण के आवेदन का मौखिक विरोध किया गया तथा आवेदन खारिज योग्य बताया	

न्यायालय–मुंसिफ, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–12/2005

CIS NO. TS-236/2018

नगीना पाठक एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

बिहार सरकार एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 02.12.2024	गया। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि वाद प्रतिवादी साक्ष्य हेतु नियत है। विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि किसी भी वाद का निस्तारण उभय पक्षों को सुनकर किया जाना चाहिए। जिससे वाद का निस्तारण अंतिम रूप से किया जा सके तथा वादों की बहुलता को रोका जा सके। अतः न्यायहित में वादीगण का आवेदन दिनांक 16.02.2023 को मो0–1500/– रूपये हर्जे पर स्वीकार करते हुए आदेश दिनांक 18.04.2022 को वापस लेते हुए वादी को केवल कागजात प्रदर्श कराने हेतु साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु अवसर दिया जाता है। आगामी दिनांक 15.01.2025 वास्ते वादी साक्ष्य हेतु नियत। लेखापित मुंसिफ नरकटियागंज	